प्रेषक,

सचिव / सिविल जज(व0प्र0)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
लखीमपुर–खीरी।

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
लखीमपुर–खीरी

पत्र संख्या 49/11–2020/कर्म0चयन/स्थई लो0अ0 दिनांक 03–02–2021

विषय जनपद में संचालित स्थाई लोक अदालत के प्रचार–प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि इस जनपद में महिला थाने के निकट स्थित सांई नाथ मन्दिर के सामने के भवन में भू–तल पर नवसृजित स्थाई लोक अदालत का संचालन प्रारम्भ हो चुका है जिसके अन्तर्गत जन उपयोगी सेवाओं (यात्रियों अथवा माल के वायु, सड़क, रेल या जलमार्ग से लाने व ले जाने की परिवहन सेवायें, डाकतार या दूरभाष सेवाएं , विद्युत प्रकाश या जल की आपूर्ति, सफाई प्रणाली, चिकित्सालय अथवा दवाखाने की सेवाएं एवं विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम–1987 की धारा 22–ए(बी) में परिभाषित अन्य जनहित में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/घोषित जनोपयोगी सेवायें) से पीड़ित व्यक्ति अपने वादों को स्थाई लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत सुलह–समझौते/गुणदोष के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं ।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना को अपने स्तर से सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा बाद प्रकाशन समाचार पत्रों में छपे समाचार की कटिंग्स इस प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

प्र0सचिव / सिविल जज(व0प्र0)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
लखीमपुर–खीरी।
03–02–2021

प्रतिलिपि जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, लखीमपुर–खीरी को सूचनार्थ अपने स्तर से उपरोक्त सूचना से जन सामान्य को अवगत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रेषित।

प्र0सचिव / सिविल जज(व0प्र0)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
लखीमपुर–खीरी।
03–02–2021